कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर
Ph : 0771-2442031, 2443504 Fax No. 0771-2442018

कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदन

प्रदेश में कृषि यांत्रिकीकरण के विस्तार हेतु कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। ट्रैक्टर तथा कृषि कार्य माला में भूमि की तैयारी से फसल की गहाई तक के विभिन्न उपयोगी कृषि यंत्र कृषकों को किराये पर उपलब्ध कराने हेतु 25.00 लाख तक की मशीनों के कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना पर ₹ 10.00 लाख एवं 15.00 लाख तक की मशीनों के कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना पर ₹ 7.50 लाख की राशि क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) के रूप में दी जावेगी।

इस प्रकार के कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के इच्छुक कृषि उद्यमी/स्व सहायता समूह (कम से कम पांच सदस्यीय)/पंजीकृत सहकारी समिति आवदेन प्रस्तुत कर सकते हैं। कृषि इंजीनियरिंग अथवा कृषि स्नातक आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। योजना के नियम व शर्तो तथा निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय (रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर) से कार्यालयीन समय में निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा विभाग की वेबसाईट www.agridept.cg.gov.in से डाऊनलोड किये जा सकते हैं।

पूर्ण आवेदन पत्र संबंधित जिले के कृषि यंत्री कार्यालय में निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत किए जा सकते है :–

जिला	कार्यालय का नाम व पूर्ण पता
रायपुर, दुर्ग, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, धमतरी, बालौद	कृषि यंत्री, रविग्राम, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) फैक्स एवं फोन नं. 0771–2443277
बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर	कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला, सरकंडा बिलासपुर (छ.ग.) फैक्स एवं फोन नं. 07752–254434
जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव,	कृषि अभियंता, कृषि अभियांत्रिकी कर्मशाला, जगदलपुर (छ.ग.) फैक्स एवं फोन नं. 07782–221005

अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी
कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना योजना हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कृषि यंत्री,
रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर।

आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो

भाग—अ

1.1 कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की श्रेणी (कृपया एक का चयन करे)
☐ सामान्य एवं उपयोजना क्षेत्र हेतु कृषि यंत्र सेवा केन्द्र (न्यूनतम लागत 25.00 लाख, अनुदान राशि 10.00 लाख)
☐ उपयोजना क्षेत्र हेतु कृषि यंत्र सेवा केन्द्र (न्यूनतम लागत 15.00 लाख, अनुदान राशि 7.50 लाख)

1.2 आवेदक का नाम : ....
पिता/पति का नाम : ....

1.3 आवेदक एकल अथवा सामूहिक रूप से (कम से कम 5 सदस्य) केन्द्र खोलना चाहता है : ☐ एकल ☐ समूह में

1.4 आवेदक/समूह के कार्यकारी सदस्यों का विवरण : ....

क्र.	आवेदक/ समूह के कार्यकारी सदस्यों का नाम	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	जाति	गृह जिला	क्या छ.ग. का स्थायी /मूल निवासी है ?

1.5 स्थान का विवरण जहां केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है
(i) ग्राम : ....
(ii) विकासखण्ड : ....
(iii) जिला : ....

1.6 केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकतायें, यदि है तो जिला : (i) .... (ii) ....

1.7(ब) आवेदक का स्थायी पता : ....
....
फोन/मोबाईल नं. : ....

1.8 आवेदक की वार्षिक आय एवं वर्तमान व्यवसाय : ....

1.9 पत्राचार हेतु पता : ....
....

1.10 स्व—सहायता समूह का नाम व पंजीयन क्रमांक : ....

भाग—ब

2.1 केन्द्र की स्थापना हेतु कुल अनुमानित व्यय (DPR संलग्न करें) : ....

2.2 आय का स्त्रोत : ☐ कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य

2.2.1 आय के अन्य स्त्रोत का विवरण : ....

2.3 वार्षिक आय : ....

2.4 PAN No. : ....

2.5 भूमि एवं उसके स्वामित्व का विवरण :—
भू स्वामी का नाम.......... क्षेत्रफल.......... ग्राम..........
विकासखण्ड.......... प.ह.न. ....

2.6 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों (कस्टम हायरिंग) के संबंध में कोई अनुभव हो तो उसका विवरण : ....

2.7 व्यवसायिक बैंक का नाम जिससे ऋण लेने के इच्छुक है : ....

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा अथवा स्व–सहायता समूह अथवा पंजीकृत सहकारी समीति के सदस्यों द्वारा, कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु किसी भी अन्य योजना से अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है। मैं अनुदान प्राप्ति हेतु विभागीय औपचारिकताओ को पूर्ण करने एवं निर्देशों को पालन करने हेतु वचन ब्रद्ध हूँ एवं भविष्य में नवीन यंत्रों के प्रचार–प्रसार में शासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। आवेदन पत्र के भाग–2 में निहित नियम व शर्तें पूर्णरूपेण मुझे मान्य है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे ज्ञान से उपरोक्त समस्त जानकारी सत्यनिष्ठा से दी गयी है।

स्थान :–
दिनांक :–

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :– उपरोक्त से **संबंधित सभी आवश्यक अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावें।**

कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना योजना हेतु नियम व शर्तें :

1. राज्य अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से रोजगार प्राप्ति के संबंध में अनुदान या ऋण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होगें।
2. आवेदक की पात्रता अनुसार आवदेन पत्र के भाग–3 (i) अथवा 3 (ii) अनुसार प्रत्येक कृषि कार्यमाला हेतु उपयुक्त संख्या में मशीनें क्रय करना अनिवार्य होगा जिसकी कुल लागत सामान्य एवं उपयोजना क्षेत्र में कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना हेतु 25.00 लाख अथवा उपयोजना क्षेत्र में कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु 15.00 लाख से कम न हो।
3. प्रत्येक केन्द्र के लिये आवेदक की पात्रता अनुसार भाग–3 (i) अथवा 3 (ii) में उल्लेखित कृषि यंत्र क्रय हेतु कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना योजनांतर्गत सामान्य क्षेत्र में कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापना हेतु 10.00 लाख अथवा उपयोजना क्षेत्र में कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु 7.50 लाख क्रेडिट लिंक्ड बैक इन्डेड सबसिडी के रूप में 3 वर्ष के लॉकिंग पीरियेड पर देय होगी। 3 वर्ष के लॉकिंग पीरियेड में किसी प्रकार का ब्याज शासन अथवा हितग्राही को देय नहीं होगा साथ ही बैंक द्वारा भी हितग्राही से अनुदान राशि के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जावेगा।
4. कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना हेतु आवेदक को यंत्र/मशीनों के रख–रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
5. सेवा केन्द्र के द्वारा कृषकों का कार्य उचित दर पर प्राथमिकता क्रम में किये जाने होगें, कृषि कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अकृषि कार्य किया जा सकेगा।
6. कृषि यंत्र सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना के तहत प्राप्त कृषि यंत्र/मशीनरी आदि को ऋण प्रदाय बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को कम से कम 5 वर्ष तक विक्रय/रहेन (मार्टगेज) नहीं किया जावेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगा।
7. सेवा केन्द्र को कार्यो का सही विवरण (लेखाजोखा) देने वाला पर्याप्त रिकार्ड संधारित करना होगा एवं समय–समय पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
8. अभ्यार्थियों का चयन वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ ओपीनियन रिपोर्ट के गुण–दोष के आधार पर प्रथम आये, प्रथम पाये अनुसार किया जावेगा। किसी विवाद की स्थिति में संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
9. एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जावेगा।

संचालक कृषि
कृषि (अभियांत्रिकी) संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–1

राज्य में स्थापित किये जाने वाले बड़े कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु प्रस्तावित यंत्रों की सूची

(संख्या नग में, राशि ₹ लाख में)

क्र.	यंत्र/मशीन	यंत्रों की न्यूनतम संख्या (प्रति कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु)	कुल अनुमानित लागत (प्रति कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु)	प्रति कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु देय अनुदान राशि
1	2	3	4	5
1	**शक्ति स्त्रोत** ट्रैक्टर/पावर टिलर	1 ट्रैक्टर अनिवार्य		
2	**भूमि की तैयारी के मैचिंग यंत्र**			
	रोटावेटर/एम.बी. प्लाऊ/केज व्हील/डिस्क हैरो/कल्टीवेटर आदि	शक्ति स्त्रोत/आवश्यकतानुसार उपयुक्त (Matching) यंत्रों का चयन किया जावे		
3 (i)	**बुआई/रोपाई के यंत्र** पैडी ट्रांसप्लांटर	1 अनिवार्य		
(ii)	सीड कम फर्टि. ड्रिल/अन्य प्लांटर	आवश्यकतानुसार	25.00 न्यूनतम	10.00
4	**सिंचाई/पौध संरक्षण यंत्र/सिंचाई पाईप**			
	5.00 HP तक के सिंचाई पंप/पौध संरक्षण यंत्र/सिंचाई पाईप	शक्ति स्त्रोत/आवश्यकतानुसार उपयुक्त (Matching) यंत्रों का चयन किया जावे		
4	**कटाई एवं गहाई के यंत्र**			
	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर एवं थ्रेशर (पैडी या मल्टिक्रॉप) अथवा कम्बाईन हार्वेस्टर	आवश्यकतानुसार		
	योग		**25.00**	10.00

टीप :– प्रत्येक कृषि कार्य हेतु यंत्रों का चयन कार्यक्षेत्र की आवश्यकतानुसार किया जावे।

परिशिष्ट–2

राज्य में स्थापित किये जाने वाले लघु कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु प्रस्तावित यंत्रों की सूची

(संख्या नग में, राशि ₹ लाख में)

क्र.	यंत्र/मशीन	यंत्रों की न्यूनतम संख्या (प्रति कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु)	कुल अनुमानित लागत (प्रति कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु)	प्रति कृषि यंत्र सेवा केन्द्र हेतु अनुदान राशि
1	2	3		4
1	**शक्ति स्त्रोत** ट्रैक्टर/पावर टिलर	1 ट्रैक्टर अनिवार्य	15.00 न्यूनतम	7.50
2	**भूमि की तैयारी के मैचिंग यंत्र**			
	रोटावेटर/एम.बी. प्लाऊ/केज व्हील/डिस्क हैरो/कल्टीवेटर/पावर वीडर/स्वचलित रोटरी टिलर आदि	शक्ति स्त्रोत/आवश्यकतानुसार उपयुक्त (Matching) यंत्रों का चयन किया जावे		
3 (i)	**बुआई/रोपाई के यंत्र** पैडी ट्रांसप्लांटर	1 अनिवार्य		
(ii)	सीड कम फर्टि. ड्रिल/ अन्य प्लांटर	आवश्यकतानुसार		
4	**सिंचाई/पौध संरक्षण यंत्र**			
	5.00 HP तक के सिंचाई पंप/पौध संरक्षण यंत्र/सिंचाई पाईप	शक्ति स्त्रोत/आवश्यकतानुसार उपयुक्त (Matching) यंत्रों का चयन किया जावे		
5	**कटाई एवं गहाई के यंत्र**			
	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर एवं थ्रेशर (पैडी या मल्टिक्रॉप) अथवा कम्बाईन हार्वेस्टर	आवश्यकतानुसार		
	योग		**15.00**	7.50

टीप :– प्रत्येक कृषि कार्य हेतु यंत्रों का चयन कार्यक्षेत्र की आवश्यकतानुसार किया जावे।